12/07/2024 पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। बहस पूर्व मे सुनी गयी थी। पत्रावली एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र दिनांक 20.02.2019 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 0.10 हैक्टे मे अपना हिस्सा 1/5 का विक्रय किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 01.03.2019 का अवलोकन करने पर पाया कि भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 0.10 हैक्टे. हिस्सा 1/5 के साथ-साथ अपीलान्ट की अन्य खसरा नम्बर 275, 278 का भी नामान्तरकरण में अंकन कर दिया गया है जो लिपिकीय त्रुटि, सहवन से होना पाया जाता है।

न्यायहित मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 01.03.2019 ग्राम पांचू खरकड़ा ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल बाबत् खसरा नम्बर 275, 278 अपीलान्ट के हिस्से तक निरस्त किया जाता है शेष प्रविष्टियां बदस्तूर रहेगी। तहसीलदार पाटन को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा नम्बरान का नामान्तरकरण पुन: दर्ज किया जाकर खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज की जावे। आदेश की पालना मे तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible] हो।

निर्णय [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:03:50 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner